बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
धरमपुरा–2, जगदलपुर जिला – बस्तर (छ.ग.) भारत 494001
Dharampura-2 Jagdalpur, Distt.-Bastar (C.G.) India 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 669 /अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :– महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अनुमति एवं संबद्धता के संबंध में।

*****

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन, 2008 पश्चात् प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02 सितम्बर 2008 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना हुई है। विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व संलग्न सूची–1 अनुसार महाविद्यालयों की संबद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से थी। शैक्षणिक सत्र 2020–21 में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया है कि कई महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से अनुमति एवं पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अथवा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर से संबद्धता संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं है अथवा विश्वविद्यालय से विधिवत संबद्धता प्राप्त नहीं किया गया है।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना के पश्चात् इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से अनुमति से पूर्व से संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अनुमति, शासन द्वारा स्वीकृति/अनुमति से प्रारंभ किये गये नवीन पाठ्यक्रमों, नवीन विषयों की अनुमति, पूर्व से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में सीट वृद्धि आदि से संबंधित शासनादेश/अभिलेखों की प्रमाणित प्रति एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता संबंधी अभिलेख प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

यदि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से अनुमति से पूर्व से संचालित किसी भी पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम, नवीन विषय, पाठ्यक्रमों/विषयों में सीट वृद्धि की विधिवत संबद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की गई हो तो एक माह के भीतर उपरोक्तानुसार अपेक्षित अभिलेखों की छायाप्रति विश्वविद्यालय में प्रेषित करते हुए संबद्धता हेतु आवेदन विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग में करने का कष्ट करेंगे, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 प्रारंभ होने से पूर्व महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की कार्यवाही पूर्ण हो सके और संचालित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध विषय, विषय समूह, सीट संख्या आदि के संबंध में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

21/9/2020

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 670 /अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपि :–

01. माननीय कुलपति महोदय, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

21.9.2020

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)